वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 09.05.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 09.05.2026

सील तोड़कर निर्माण करने वालों पर होगी एफआईआर

वाराणसी। सील तोड़कर अवैध निर्माण करने वालों पर वीडीए सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यह निर्देश वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने सभी जोनल अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विधिवत मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें और अवैध निर्माण से बचें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शासन और प्राधिकरण की ओर से मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। इसके बावजूद वीडीए के महायोजना क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 09.05.2026

सील तोड़कर निर्माण कराने वालों पर होगी एफआइआर : वीडीए

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य से पूर्व धारा–15 के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अवैध निर्माण पाए जाने पर धारा–27 के तहत कारण बताओ नोटिस तथा धारा–28 के तहत कार्य रोकने का आदेश जारी किया जाता है। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर परिसर को धारा–28 (क) के अंतर्गत सील कर स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंपा जाता है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सील तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य कराने वाले भवन स्वामियों एवं निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्राधिकरण ने नागरिकों से निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृति लेने की अपील की है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 09.05.2026

सील तोड़कर निर्माण न करें

वाराणसी। अवैध निर्माण पर वीडीए की सील तोड़कर कार्य कराने पर भवन स्वामी पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अंतर्गत वीडीए से मानचित्र स्वीकृति लेना आवश्यक है। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि जिन भवनों पर प्राधिकरण ने सील लगाई है, उसे तोड़ना अवैध एवं दंडनीय है।